(48)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/खण्डवा/भू.रा./2018/2065 विरूद्ध आदेश दिनांक 02.01.2018 पारित द्वारा अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर प्रकरण क्रमांक 219/अपील/15-16.

शेख सुल्तान पिता नामालूम
निवासी चिराखदान जसवाड़ी रोड़,
जिला खण्डवा .....आवेदक

विरूद्ध

शेख अब्बास पिता शेख मजीद
निवासी ग्राम पिपलौद खुर्द,
तहसील पंधाना, जिला खण्डवा .....अनावेदक

श्री मानसिंह परमार, अभिभाषक, आवेदक
श्री अनुराग शुक्ला, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 6/12/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित दिनांक 02.01.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा तहसीलदार, तहसील पंधाना के समक्ष संहिता की धारा 109-110 के अंतर्गत आवेदन पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक ग्राम पिपलौद खुर्द, तहसील पंधाना स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 530/2 रकबा 0.57 हैक्टेयर भूमि का मालिक, स्वामी एवं आधिपत्यधारी है। अत: प्रश्नाधीन भूमि के राजस्व अभिलेख में मृतक

शेख हब्बू का नाम कम किया जाकर अनावेदक का नाम दर्ज किया जाये। इस आवेदन पत्र के आधार पर तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्र. 43/अ-6/13-14 दर्ज कर दिनांक 28.07.2015 को आदेश पारित करते हुए अनावेदक का नाम प्रश्नाधीन भूमि के राजस्व अभिलेख में अंकित किये जाने का आदेश दिया गया। तहसीलदार के उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, पंधाना के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई, जो उनके द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.01.2016 से स्वीकार की गई। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अनावेदक द्वारा अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 02.01.2018 को आदेश पारित कर तहसीलदार का आदेश दिनांक 28.07.2015 स्थिर रखते हुए अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 29.01.2016 निरस्त किया गया। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) दिनांक 26.11.1992 का दस्तावेज जो कि मौखिक बख्शीश का याददाश्त लेख है, पूर्ण रूप से फर्जी, नकली, जाली तथा कूट रचित दस्तावेज है, जिसको आधार बनाकर अनावेदक के द्वारा वादोक्त भूमि को हड़पने की दुर्भावना से अपना नामांतरण करवाने का अवैधानिक तरीके से कुप्रयास किया गया था। इस महत्वपूर्ण तथ्य को नजर अंदाज करते हुए, बगैर सुनवायी का अवसर प्रदान किये, बगैर प्रमाण या साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुए ही तहसील न्यायालय द्वारा नामांतरण आदेश पारित करने में तथा अपर आयुक्त द्वारा ऐसे तथाकथित आदेश की पुष्टि करने में गंभीर विधि की भूल व त्रुटि की है, ऐसी दशा में आदेश दिनांक 29.01.2016 स्थिर रखे जाने योग्य होकर आदेश दिनांक 28.07.2015 तथा दिनांक 02.01.2018 का अपास्त तथा निरस्त किये जाने योग्य है।

(2) आवेदक प्रारंभ से ही समस्त न्यायालयीन कार्यवाहियों में भाग लेता रहा है तथा अपने आप को अनावेदक, आवेदक के ही परिवार का सदस्य बताता आ रहा है, तो फिर अनावेदक के द्वारा आवेदक शेख सुल्तान का नाम ज्ञात नहीं होना यह एक गंभीर आश्चर्य का विषय रहा है। अनावेदक की प्रत्येक कार्यवाही में उसके द्वारा इस आवेदक शेख सुल्तान के पिता के नाम का स्थान रिक्त रखा जाना, उसके पक्ष में निष्पादित दस्तावेज की कूटरचना, उस

दस्तावेज के फर्जी, जाली होने का एक ज्वलंत उदाहरण ही माना जावेगा, ऐसी दशा में यह निगरानी याचिका स्वीकार करते हुए तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.07.2015 एवं अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.01.2018 पूर्ण रूप से विधि विधान तथा प्राकृतिक न्याय सिद्धांतों के विपरीत होने से अपास्त तथा निरस्त किये जाने योग्य होकर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित किया गया आदेश दिनांक 29.01.2016 स्थिर रखा जाना ही न्यायोचित होगा।

(3) अनावेदक शेख अब्बास जो कि आवेदक के खानदान/परिवार का कभी भी, किसी भी रूप में सदस्य ही नहीं रहा है, तो फिर ऐसी दशा में अनावेदक शेख अब्बास के पक्ष में मौखिक रूप से वादोक्त भूमि के संबंध में बख्शीश किया जाना तथा उस बख्शीश का याददाश्त का लेख (दस्तावेज) दिनांक 26.11.1992 का निष्पादित होना या किया जाना, किसी भी स्थिति में न तो संभव रहा है, ना ही विश्वसनीय ही रहा है, लेकिन इसके उपरांत भी तहसीलदार द्वारा पारित अवैधानिक आदेश दिनांक 28.07.2015 के द्वारा अनावेदक का नाम राजस्व रिकॉर्ड में नामांतरण कर दर्ज तथा अंकित करने तथा इस आदेश की अवैधानिक तथा अनुचित रूप से अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.01.2018 के द्वारा पुष्टि करने/स्थिर/कायम रखे जाने संबंधी आदेश पूर्ण रूप से अपास्त तथा निरस्त किये जाने योग्य होकर, अनुविभागी अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.01.2016 की पूर्णतया विधिक, न्यायोचित आदेश रहा है।

(4) शेख हब्बू पिता शेख छन्नू (जिनके द्वारा अनावेदक शेख अब्बास के हक व हित में दस्तावेज का निष्पादन होना यह कहते हुए बताया जा रहा है कि उल्लेखित जमीन शेख अब्बास के खिदमत/सेवा, सुश्रुषा के कारण बख्शीश में प्राप्त हुई) का परिवार काफी लम्बा/बड़ा रहा है। ऐसी दशा में शेख अब्बास के द्वारा खिदमत/सेवा-सुश्रुषा करने या करवाने का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता है और शेख अब्बास यह आवेदक के न तो परिवार का सदस्य रहा है, ना ही इससे कोई खून का रिश्ता ही रहा है। नामांतरण अवैधानिक रूप से हुआ है।

अत: उनके द्वारा निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त एवं तहसीलदार द्वारा पारित आदेश निरस्त करते हुए अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखने का अनुरोध किया गया।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) आवेदक द्वारा निगरानी पुनरीक्षण याचिका 21 दिवस विलंब से प्रस्तुत की गई है, अनावेदक द्वारा अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन का उत्तर प्रस्तुत किया गया, जिसके प्रकाश में आवेदक की पुनरीक्षण याचिका प्रथम दृष्टया निरस्तनीय है।

(2) द्वितीय अपील न्यायालय द्वारा तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.07.2015 स्थिर रखा जाकर अनावेदक की अपील स्वीकार की गई, ऐसी स्थिति में दो न्यायालय के निर्णय कनकरेंट फाईंडिंग होने से सदर पुनरीक्षण याचिका में विधि के सारवान बिंदु विचारणीय नहीं होने से आवेदक की याचिका मात्र इसी आधार पर निरस्तनीय है।

(3) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 29.01.2016 को आदेश पारित कर तहसीलदार द्वारा पारित नामांतरण आदेश दिनांक 28.07.2015 निरस्त किया जाकर उभय पक्षों को सिविल न्यायालय में अपना स्वत्व निराकरण कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया। प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के प्रकाश में मात्र आवेदक को निर्देशित किया जाना आवश्यक था।

(4) अनावेदक द्वारा द्वितीय अपील ज्ञापन के आधार 1 से 4 में उल्लेखित आधारों पर प्रकरण में यह प्रमाणित हुआ है कि अनावेदक मृतक शेख हब्बू पिता शेख छन्नू का भतीजा होकर वादग्रस्त स्थान पर 12 वर्ष के अधिक समय से आधिपत्यधारी होकर विचारण न्यायालय द्वारा विधिवत् अनावेदक के नाम पर नामांतरण किया गया तथा आवेदक मृतक शेख हब्बू को अपना पिता बताकर संशोधन पंजी क्रमांक 45 आदेश दिनांक 05.06.2012 को राजस्व अभिलेख में फर्जी नामांतरण कर लिया था, जिसकी अपील प्रकरण क्रमांक 2/अ-6/11-12 में पारित आदेश दिनांक 12.03.2013 के द्वारा अपील स्वीकार की जाकर संशोधन पंजी का नामांतरण निरस्त किया गया, जिसका उल्लेख अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश दिनांक 29.01.2016 के पृष्ठ क्रमांक 9 में किया गया। उक्त स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी का आदेश अव्यवहारिक होकर निरस्त करने में किसी प्रकार की वैधानिक त्रुटि नहीं की गई होने से द्वितीय अपील न्यायालय द्वारा पारित आदेश अपास्त योग्य न होकर स्थिर रखे जाने योग्य है।

अत: उनके द्वारा निगरानी निरस्त कर अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखने का अनुरोध किया गया।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 04.10.2017 को प्रकरण आदेश के लिए नियत किया जाकर दिनांक 02.01.2018 को आदेश पारित किया गया है। अपर आयुक्त के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण आदेश हेतु नियत करते हुए आदेश पारित करने का दिनांक नियत नहीं किया गया है। उपरोक्त स्थिति में यह निगरानी समयावधि में मान्य की जाती है। जहां तक प्रकरण के गुण-दोष का प्रश्न है, अपर आयुक्त द्वारा विस्तार से विवेचना उपरांत स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है कि आवेदक द्वारा व्यवहार न्यायालय से कोई स्थगन प्राप्त कर प्रस्तुत नहीं किया गया है। अत: तहसील न्यायालय द्वारा मूल भूमिस्वामी शेख हब्बू द्वारा मुस्लिम विधि के अनुसार अनावेदक के पक्ष में किये गये मौखिक बख्शीश तथा याददाश्तनामा दिनांक 26.11.1992 के आधार पर तथा प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदक का 30 वर्ष से कब्जा प्रमाणित होने के कारण अनावेदक का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज किये जाने के आदेश देने में कोई त्रुटि नहीं की गई है। इस प्रकार तहसील न्यायालय एवं अपर आयुक्त के विधिसंगत समवर्ती निष्कर्ष हैं, जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं हैं। इस संबंध में 1982 आर.एन. 36 रामाधार विरूद्ध आनंद स्वरूप तथा अन्य में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है:-

> "धारा 50-समवर्ती निष्कर्ष-अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों में कोई अवैधता या अनियमितता नहीं-पुनरीक्षण में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए।"

उपरोक्त निष्कर्ष एवं प्रतिपादित न्यायिक सिद्धांत के प्रकाश में अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश नीतिगत एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.01.2018 स्थिर रखा जाता है। निगरानी निरस्त की जाती है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर